भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 719458

Stamp 750/-

शारदा एजुकेशनल फाउण्डेशन ट्रस्ट

ग्राम – हरबसपुर पोस्ट – करंजाकला, तहसील – सदर, जिला–जौनपुर
(उत्तर प्रदेश) भारत, पिन–222001

मैं श्री भूलन चौरसिया पुत्र स्वर्गीय सालिकराम चौरसिया, ग्राम – हरबसपुर पोस्ट – करंजाकला, तहसील – सदर, जिला–जौनपुर (उत्तर प्रदेश) का दस्तावेज अपने हस्ताक्षरों से रजिस्टर्ड करता हूँ।

1– इस लोक कल्याणकारी एवं मानवता प्रेमी ट्रस्ट/न्यास का निर्माण एवं स्थापना 12 अगस्त 2016 ई0 को अपनी पत्नी श्रीमती शारदा चौरसिया की पावन स्मृति में आरम्भ कर रहा हूँ। इस न्यास/ट्रस्ट डीड (दस्तावेज) को शारदा एजुकेशनल फाउण्डेशन ट्रस्ट/न्यास के नाम से जाना जायेगा। इस न्याय का उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों यथा जन शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य विकास, विज्ञान, नैतिक मूल्यों, कला, साहित्य, पर्यावरण एवं भारतीय संस्कृति एवं परम्परा का निर्वाह करना है।

2– ट्रस्ट/न्यास की विधिक प्रतिबद्धता –

शारदा एजुकेशनल फाउण्डेशन ट्रस्ट/न्यास इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस ट्रस्ट ऐक्ट 1882 के वे समस्त नियम/उपनियम लागू होंगे जो कि इस ट्रस्ट ऐक्ट के लिए आवश्यक है और न्यायिक विधि में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। शारदा एजुकेशनल फाउण्डेशन ट्रस्ट/न्यास उसके अनुपाल में प्रतिबद्ध है।

न्यास ट्रस्ट के न्यासकर्ता के द्वारा घोषणा की जाती है कि रूपया 5,000/ (पांच हजार रूपया) से इस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है जो कि न्यास/ट्रस्ट के न्यास सदस्यों द्वारा प्राप्त हुई है। आगे यह घोषणा की जाती है कि जो भी दान, अनुदान, चाहे कोष (फण्ड) या सम्पत्ति के रूप में प्राप्त होगा उसका उपयोग लोक कल्याकारी, मानव,

भूलन चौरसिया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 707307

भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कल्याणकारी कार्यों के लिए होगा। प्राप्त अनुदान, धनराशि न्यास/ट्रस्ट को प्राप्त है, या प्राप्त होगी उसका उल्लेख रजिस्टर में अंकित होगा या बैंक खाते का विवरण दिया जायेगा।

संस्थापक न्यास/ट्रस्ट शारदा एजुकेशनल फाउण्डेशन ट्रस्ट/न्यास के नाम उपरोक्त धनराशि सौंप चुका हैं तथा न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं संचालन हेतु समर्पित है। न्यास/ट्रस्ट को संचालित करने के लिए संस्थापक अपनी सहमति व्यक्त कर चुका है और वैधानिक रूप से 5,000/ रूपया (पांच हजार रूपया) से अपना मालिकाना का अधिकार रखता है।

1– रूपये 5,000/ (पांच हजार रूपये) न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी और बाद में न्याय/ट्रस्ट की सम्पत्ति कहलायेगी।

2– ट्रस्ट सम्पत्ति का अर्थ होगा उपरोक्त रकम रूपये 5,000/ (पांच हजार रूपये) न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी इसके अतिरिक्त समय–समय पर पूंजी लगाना या किसी क्षेत्र से प्राप्त की गयी धनराशि इसके अतिरिक्त दान–दाताओं एवं स्वयं सेवी संगठनों तथा किसी संस्था अथवा सोसाइटी द्वारा दी गयी रकम या सम्पत्ति न्यास/ट्रस्ट की होगी।

3– न्याय/ट्रस्ट पर प्रोविजन इनकमटैक्स ऐक्ट 1961 की सभ शर्ते लागू होगी उपरोक्त न्यास/ट्रस्ट में नामित व्यक्ति जो न्यासी/ट्रस्टी बनाये गयें।

4. ट्रस्ट/न्यास का नाम – शारदा एजुकेशनल फाउण्डेशन ट्रस्ट, ट्रस्ट/न्यास
5. ट्रस्ट/न्यास का स्थाई पता – ग्राम–हरबसपुर पोस्ट – करंजाकला, तहसील– सदर, जिला – जौनपुर (उ0प्र0) 222001
6. ट्रस्ट/न्यास निर्माता/न्यासकर्ता– श्री भूलन चौरसिया
ग्राम–हरबसपुर पोस्ट – करंजाकला, तहसील– सदर, जिला – जौनपुर (उ0प्र0) 222001

भूलन चौरसिया

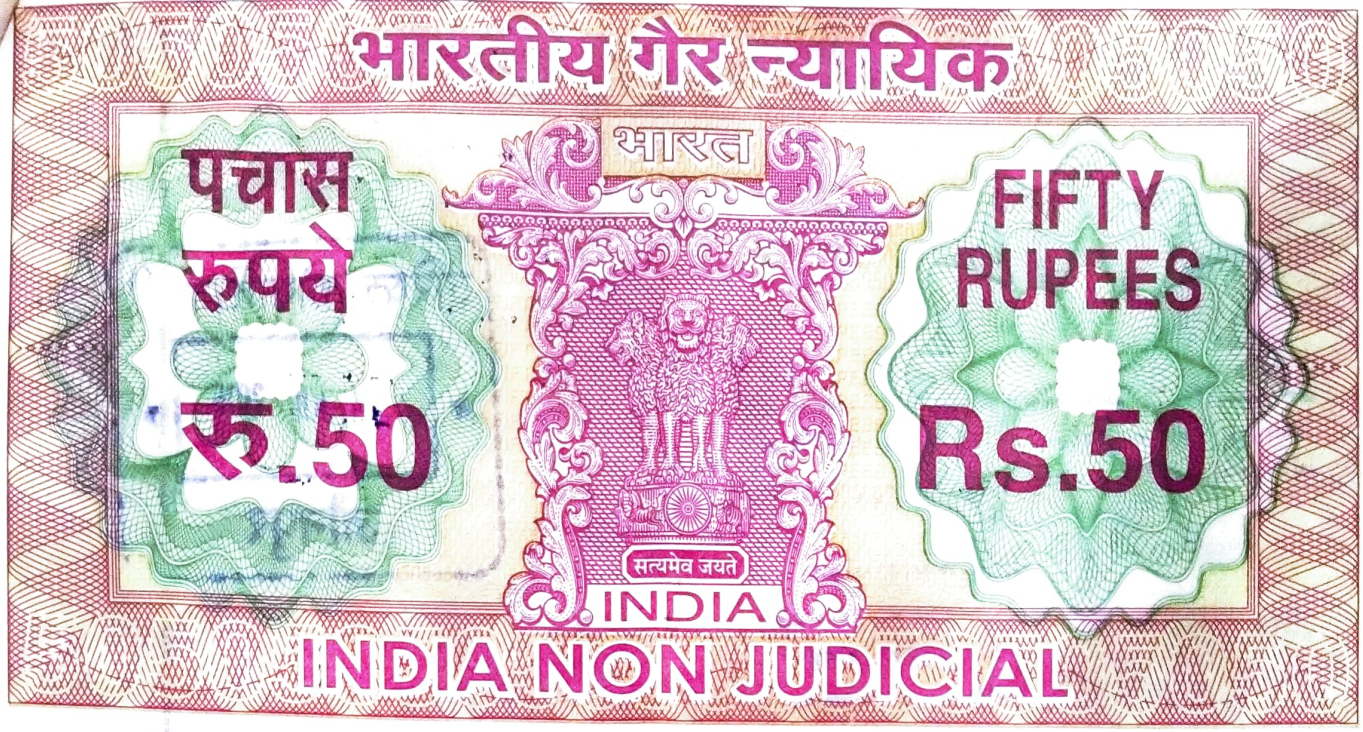

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 707309

7. ट्रस्ट / न्यास का कार्य क्षेत्र – सम्पूर्ण भारत।

8. ट्रस्ट / न्यास का स्वरूप – यह ट्रस्ट / न्यास एक एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी ट्रस्ट है जो धर्म, जाति वर्ग सम्प्रदाय एवं राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेंगी।

9. लाभग्राही – हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध आदि समस्त जाति धर्म के समस्त लोगों को बिना किसी भेद–भाव व सामान्य विकास अर्थात मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह ट्रस्ट काम करेगा और सभी को समान लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगा, तथा मानव विकास में सहायक प्राणियों, वनस्पतियों के विकास व कल्याण में कार्य करेंगी।

10. फायदाग्राही व्यक्ति – ट्रस्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा, बल्कि ट्रस्ट के विकास या उसके कार्यक्रम के विकास में लोक कल्याण के लिए लगाया जायेगा।

11. ट्रस्ट के उद्देश्य – 1. सामाजिक विकास के लिए विशेषकर इन क्षेत्रों में जैसे भारत वर्ष के निरीह और जरूरतमन्द बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए भारत के विभिन्नल प्रान्तों में अपने उद्देश्यों के निहित भिन्न–भिन्न बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं

भूलन चौरसिया

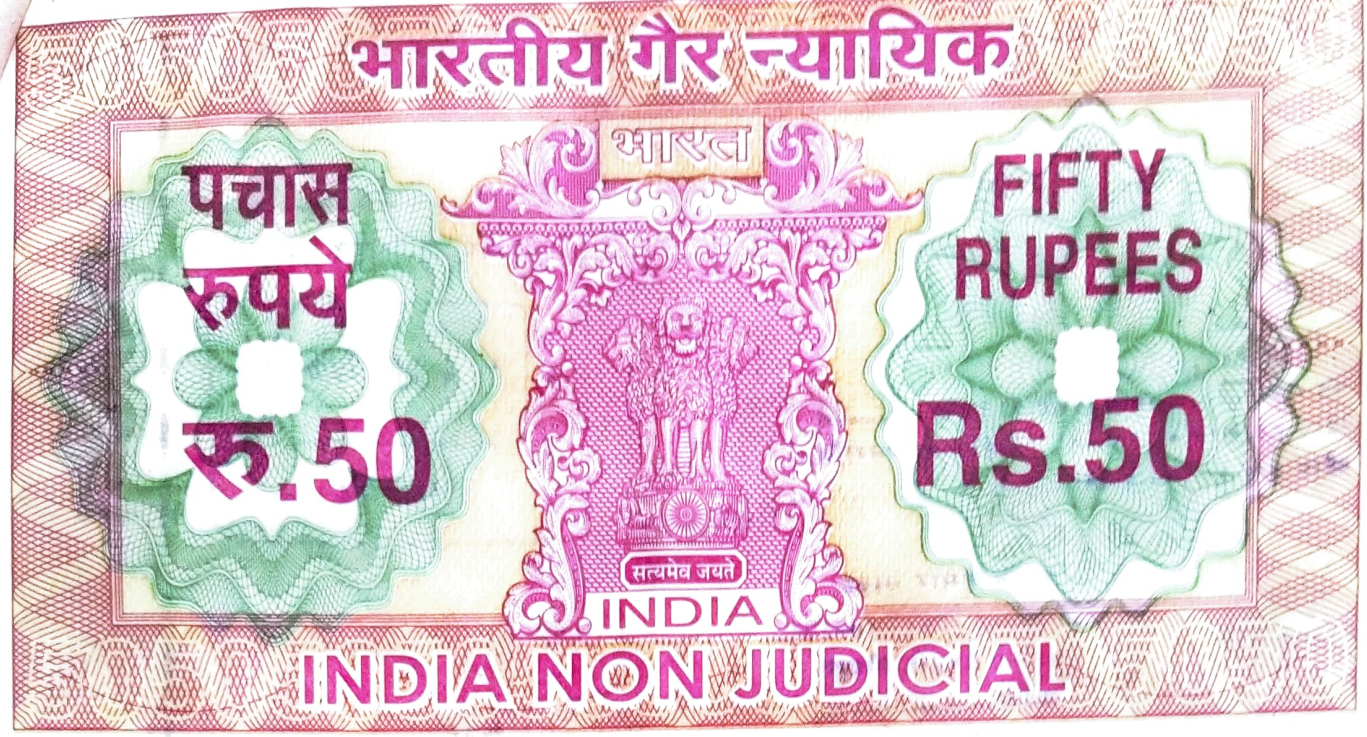

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 707310

का गठन करना तथा प्रबंध समितियों संस्था का संचालन करना।

2. शारदा एजुकेशनल फाउण्डेशन ट्रस्ट/न्यास के अन्तर्गत मैनेजमेण्ट एण्ड टेक्लोलॉजी के क्षेत्र में आवश्यक पाठ्यक्रम संचालन करना जो कि मानव के हित में हो तथा सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयें का अध्ययन केन्द्र खोलना तथा काउन्सिलंग सेन्टर खोलना एवं खुलवाना, प्राथमिक विद्यालय, जूनिहर हाईस्कूल, हाईस्कूल ट्रस्ट/न्यास एवं इण्टरमीडिएट कालेज के संचालन/निःशुल्क कम्प्यूटर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था इस ट्रस्ट द्वारा की जाती है।

3. सामाजिक विकास के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, व्यायामशाला, अस्पताल तथा प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल, उच्च माध्यिक विद्यालय, इण्टर एवं सी0बी0एस0सी0 बोर्ड, महाविद्यालय, अभियांत्रिक कालेज, मेडिकल कालेज, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हास्पिटल, सामाजिक शिक्षा केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा केन्द्र, आवासीय विद्यालय, वृद्धा आश्रम, निराश्रित सेवा केन्द्र (अनाथालय) मूक बधिर, विकलांग केन्द्र छात्रावास, पशु अस्पताल, गो सेवा सदन, मुर्गी पालन, सांस्कृतिक केन्द्र, कुटीर उद्योग, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र,

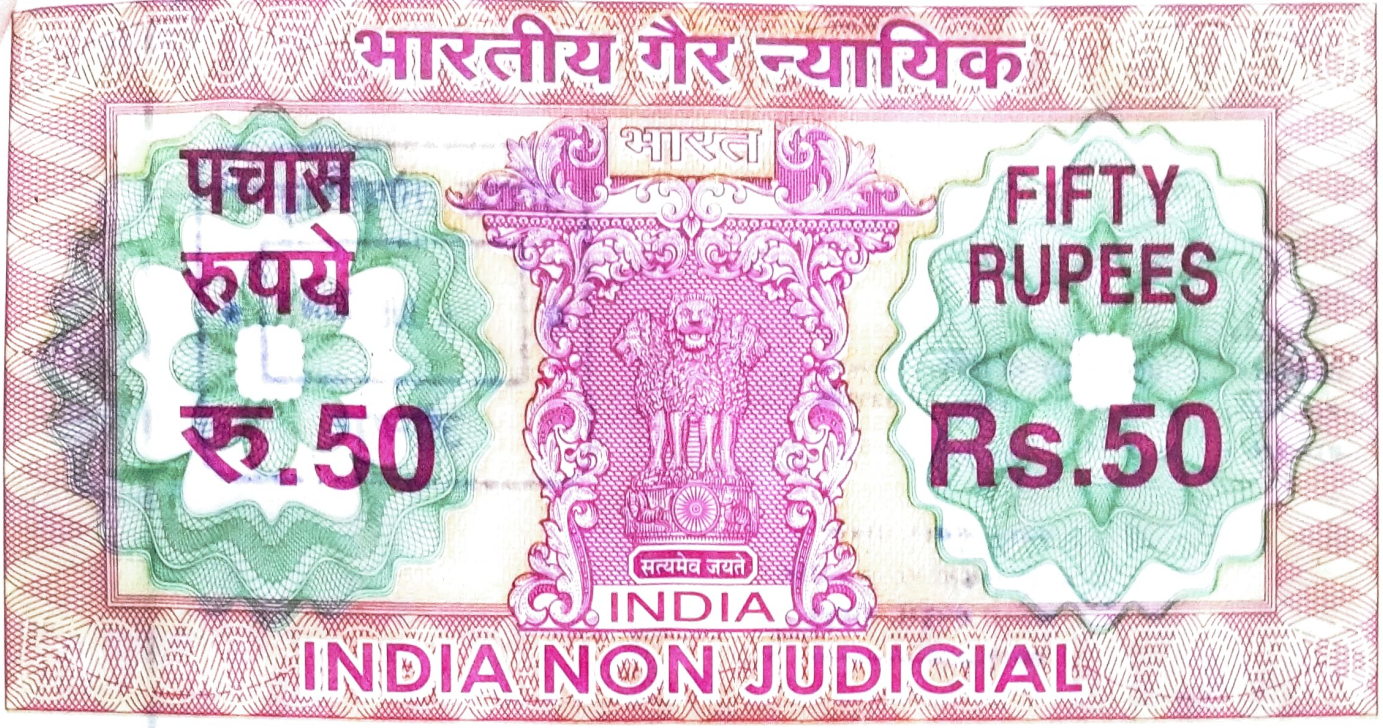

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 707313

व्यवस्था करना एवं किसान स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें अनुदान उपलब्ध कराना।

12. प्राकृतिक आपदाओं जैसे– बाढ़, सूखा, आगजनी, महामारी, विपत्तियों के समय भी पीड़ितों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करना। समय–समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय/परिषद, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि संस्थाओं एवं राज्य सरकार के विभिन्न इत्यादि संस्थाओ एवं राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से सहायता उपलब्ध कराने के सहयोग करना।

13. मातृ–शिशु कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण एवं टीकाकरण कार्य के लिए कार्य करना तथा प्रचार–प्रसार करना।

14. ग्राम्य स्तर पर उत्पादित वस्तुओं, हस्तकला सामग्रियों, कताई–बुनाई, सिलाई–कढ़ाई इत्यादि के निर्माण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

15. जैविक खेती द्वारा सब्जी, फल एवं अनाज का उत्पादन कराकर एवं फसलों में रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न कीटों (फसल मित्र) का प्रयोग करना रासायनिक विषाक्तता की मुक्ति के लिए प्रयत्न

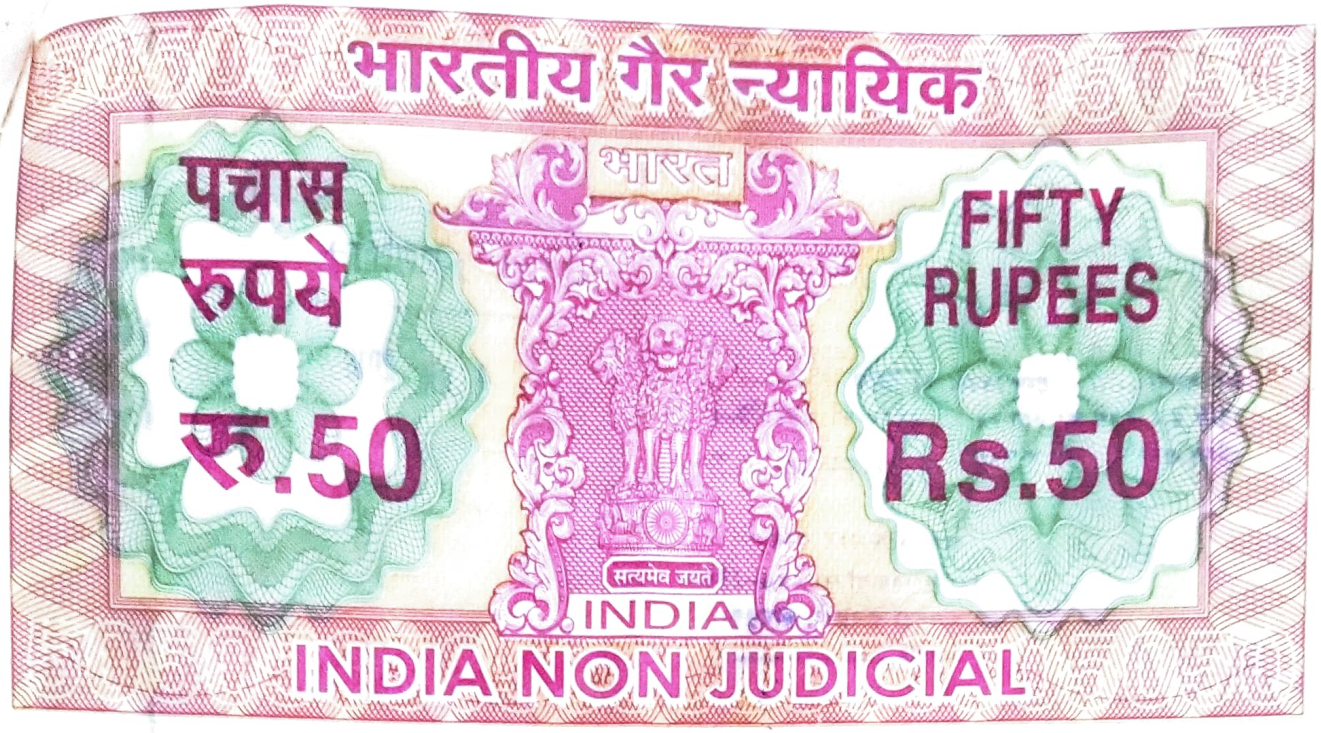

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BF 707316

लिए बनायेगा जिनकी सदस्यता अवधि 1 वर्ष होगी।

14. संस्थापक के कार्य – : 1. वैसे तो संस्थापक ट्रस्ट से जुड़े सभी जरूरी निर्णय लेगा उसके कुछ सम्बन्धित कार्य निम्न है – चल–अचल सम्पत्ति को खरीदना–बेचना, रेहन रखना, ऋण लेना, अनुदान लेना या किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करना, व उनका मनोनीत करना, नियुक्ति करना, निष्कासन करना व किसी अधिकारी द्वारा किये गये प्रशाासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या उसे निरस्त करना।

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालि संस्था में परियोजनाओ के संचालन में समितियों व मुख्य समितियों का गठन करना, उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना व उनके अधिकार प्राप्त कराना तथा भंग करना व उन्हें अधिकारियों को वापस लेना

3. ट्रस्ट न्यास द्वारा गठित समितियों व उपसमितियों संस्थाओं व परियोजनाओं को अलग–अलग बैंक खातों का समयानुसार चालू करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक खाते खुलवाना और उन्हें बन्द कराना य परिवर्तन करना।

4. ट्रस्ट/न्यास की ओर से किस भी प्रकार का अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए या वाद–विवाद की पैरवी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना तथा किसी जांच पड़ताल के लिए ट्रिबनल गठन करना और वैधानिक कार्यवाही करना।

5. वार्षिक आय–व्यय का लेखा–जोखा स्वीकृत करना तथा आगमी बजट तैयार करना।

6. ट्रस्ट/न्यास के किसी पदाधिकारियों द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर सुनवाई करना व उस पर निर्णय देना।